[2022] 10 एस.सी.आर. 1

पोत एम.वी. पोलेरिस गैलेक्सी में हितबद्ध स्वामी और पक्षकार

बनाम

बैंक कैंटोनल डी जेनेवा

(2022 की दीवानी अपील सं. 6897-6898)

23 सितम्बर, 2022

[इंदिरा बनर्जी तथा ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्तिगण]

नावधिकरण (समुद्रीय दावों का अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 – धारा 14 – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 1 नियम 10(2) – वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 – क्या नावधिकरण अधिनियम द्वारा शासित एक नावधिकरण वाद में, किसी पक्षकार को जोड़ने के लिए उसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) के एक आदेश से उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील होती है – अभिनिर्धारित: नहीं – सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन किसी पक्षकार को जोड़ने का एक आदेश नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील योग्य नहीं है – समुद्रीय विधियां।

नावधिकरण (समुद्रीय दावों की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 – धाराएं 12, 14 – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 1 नियम 10(2), आदेश 43 नियम 1 – वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 – धारा 13 – विधियों का निर्वचन – सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन – अभिनिर्धारित: नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश से उच्च न्यायालय की खंडपीठ को अपील के लिए मंच प्रदान करती है – "कोई भी अंतरिम आदेश" को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 के आलोक में सी.पी.सी. के आदेश 43,

नियम 1 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए – धारा 14 के अध्यारोही प्रावधान का उद्देश्य नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 को शून्य करना नहीं है – नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है चाहे वे मूल कार्यवाहियां हों या अपीलीय कार्यवाहियां – वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के साथ नावधिकरण अधिनियम की धाराओं 12 और 14 के सामंजस्यपूर्ण पठन पर, नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग को एक अंतः-न्यायालय अपील नावधिकरण अधिनियम के अधीन किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से या नावधिकरण अधिनियम के अधीन आदेश 43, नियम 1 में विनिर्दिष्ट आदेशों से संबंधित किसी अंतरिम आदेश से होगी – संभवतः सभी अंतरिम आदेशों को अपील योग्य बनाना नावधिकरण अधिनियम का विधायी आशय नहीं हो सकता था – "अंतरिम आदेश" अभिव्यक्ति के इतने व्यापक निर्वचन का अर्थ यह होगा कि कोई भी पक्षकार शपथपत्र और उसी तरह के महत्वहीन आदेशों से भी अपील दायर करके विचारण और अंतिम निपटारे में विलंब करने में सक्षम होगा – समुद्रीय विधियां।

वहन पत्र – की अवधारणा – वहन पत्रों को शासित करने वाली विधि – चर्चा की गई।

विधियों का निर्वचन – दो या अधिक विधियों में गैर-अवरुद्धकारी खंड – अभिनिर्धारितः एक सामान्य नियम के रूप में, विशेष विधियां सामान्य विधियों पर प्रभावी होती हैं – यदि दोनों विधियां सामान्य विधियां हैं या विशेष विधियां हैं जिनमें एक समान या समरूप गैर-अवरुद्धकारी खंड शामिल हैं, तो बाद वाली विधि प्रभावी होगी – हालांकि, यह नियम कि बाद की विधि में एक गैर-अवरुद्धकारी खंड पूर्व की विधि के गैर-अवरुद्धकारी खंड पर प्रभावी होता है, एक पूर्ण नियम नहीं है – कौन सा प्रावधान प्रभावी होता है, यह प्रश्न अनिवार्य रूप से अधिनियमन के उद्देश्य और, विशेष रूप से, अधिनियमन या उसके किसी विशिष्ट प्रावधान को अध्यारोही प्रभाव देने के उद्देश्य पर निर्भर करेगा – जब एक ही क्षेत्र में

कार्य करने वाले दो या अधिक अधिनियमनों में एक गैर-अवरुद्धकारी खंड होता है जिसमें यह कहा जाता है कि इसके प्रावधान किसी अन्य विधि में निहित इसके साथ असंगत किसी भी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, तो संघर्ष का समाधान अधिनियमनों के अंतर्निहित उद्देश्य और नीति पर विचार करने पर किया जाना चाहिए – सूक्तियां – साधारण कथन विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 – धारा 2(1)(सी)(iii) – अभिनिर्धारित: नावधिकरण और समुद्रीय विधि से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न होने वाला विवाद एक वाणिज्यिक विवाद है जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(सी)(iii) में परिभाषित है – समुद्रीय विधियां।

अपीलों को अनुज्ञात करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 सी.पी.सी. के प्रावधानों को उच्च न्यायालय में सभी नावधिकरण कार्यवाहियों पर लागू करती है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 यह स्पष्ट करती है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा संशोधित सी.पी.सी. के प्रावधान, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा शासित वाणिज्यिक विवादों से संबंधित वादों पर लागू होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के पास, बिना किसी आवेदन के किए गए, स्वयं की प्रेरणा से किसी नावधिकरण वाद में किसी पक्षकार को जोड़ने की शक्ति है, यदि उसकी यह राय है कि न्यायालय के समक्ष उस पक्षकार की उपस्थिति वाद में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी ढंग से और पूर्ण रूप से न्यायनिर्णयन करने और निपटाने के लिए आवश्यक हो सकती है। प्रश्न यह है कि क्या नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के अधीन, किसी नावधिकरण वाद में किसी पक्षकार को जोड़ने वाला वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का आदेश, अपील योग्य है। [कंडिका 61, 62][27-बी-डी]

1.2 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 और नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 दोनों में गैर-अवरुद्धकारी खंड शामिल हैं जो धाराओं को अध्यारोही प्रभाव देते हैं। जबकि नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 जो जैसा कि देखा गया है एक गैर-अवरुद्धकारी खंड के साथ शुरू होती है, यह प्रावधान करती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश से उच्च न्यायालय की खंडपीठ को एक अपील होगी, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13(2) कहती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा कोई अपील नहीं होगी। परंतुक वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अधीन एक अपील को ऐसे आदेशों तक सीमित करता है जो सी.पी.सी. के आदेश 43 में विशेष रूप से प्रगणित हैं। [कंडिका 67] [29-एफ-एच] [30-ए-बी]

1.3 एक कंडिका जिसमें "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी" शब्द होते हैं, उसे सामान्यतः किसी अन्य विधि के साथ संघर्ष की स्थिति में धारा के अधिनियमित भाग को अध्यारोही प्रभाव देने के दृष्टिकोण से धारा के आरंभ में जोड़ा जाता है। साधारणतः, जब दो या अधिक संविधियों में वैधानिक प्रावधान होते हैं जो इस कंडिका "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी" से शुरू होते हैं और उन संविधियों में परस्पर विरोधी प्रावधान होते हैं, तो एक प्रश्न जो उत्पन्न हो सकता है वह यह है कि, कौन सी संविधि प्रभावी होगी। एक सामान्य नियम के रूप में, विशेष विधियां सामान्य विधियों पर प्रभावी होती हैं। यदि दोनों विधियां सामान्य विधियां हैं या विशेष विधियां हैं जिनमें एक समान या समरूप गैर-अवरुद्धकारी खंड शामिल हैं, तो बाद वाली विधि प्रभावी होगी। यह नियम कि बाद की संविधि में एक गैर-अवरुद्धकारी खंड पूर्व की

संविधि के गैर-अवरुद्धकारी खंड पर प्रभावी होता है, एक पूर्ण नियम नहीं है। कौन सा प्रावधान प्रभावी होता है, यह प्रश्न अनिवार्य रूप से अधिनियमन के उद्देश्य और, विशेष रूप से, अधिनियमन या उसके किसी विशिष्ट प्रावधान को अध्यारोही प्रभाव देने के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। जब एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाले दो या अधिक अधिनियमनों में एक गैर-अवरुद्धकारी खंड होता है जिसमें यह कहा जाता है कि इसके प्रावधान किसी अन्य विधि में निहित इसके साथ असंगत किसी भी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, तो संघर्ष का समाधान अधिनियमनों के अंतर्निहित उद्देश्य और नीति पर विचार करने पर किया जाना चाहिए। [कंडिकाएं 68-70] [30-बी-एफ]

एम.वी. एलिजाबेथ बनाम हरवान इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्रा. लि, (1993) 2 सप्लीमेंटरी एस.सी.सी. 433 – संदर्भित।

2.1 नावधिकरण और समुद्रीय विधि से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न होने वाला विवाद एक वाणिज्यिक विवाद है जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(सी)(iii) में परिभाषित है। नावधिकरण अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के पठन से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा सर्वबंधी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित नावधिकरण अधिनियम के अधीन पारित आदेश ही वे एकमात्र आदेश हैं जो नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील योग्य हैं, जबकि एक वाद के विचारण में और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अधीन किए गए आवेदनों पर पारित आदेश नावधिकरण अधिनियम के अधीन आदेश नहीं हैं, बल्कि सी.पी.सी. के अधीन आदेश हैं जो केवल तभी अपील योग्य होंगे यदि वे सी.पी.सी. के आदेश 43 के अंतर्गत आते हैं जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में प्रावधान किया गया है। नावधिकरण अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम दोनों विशेष अधिनियम हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधान अपीलों से संबंधित सामान्य प्रावधान माने जाते हैं, जबकि नावधिकरण अधिनियम के प्रावधान अपील के लिए विशेष प्रावधान माने

जाते हैं, तब भी सूक्ति साधारण कथन विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते, जो साधारणतः वहां आकर्षित होती है जहां एक विशेष और एक सामान्य संविधि के बीच संघर्ष होता है, लागू नहीं होगी। [कंडिकाएं 73, 78-80] [31-ई-एफ; 33-ई-जी; 34-बी-सी]

अशोका मार्केटिंग लि. बनाम पंजाब नेशनल बैंक **(1990) 4 एस.सी.सी. 406 : [1990] 3 एस.सी.आर. 649 – इनका अनुसरण किया गया।**

कांडला कॉर्पोरेशन बनाम ओसीआई कॉर्प. **(2018) 14 एस.सी.सी. 715 : [2018] 1 एस.सी.आर. 915 – इन पर अवलंबन किया गया।**

सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट्स **2014 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 140 – संदर्भित ।**

2.2 यदि सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन ऐसा आदेश जो सी.पी.सी. के आदेश 43 के अंतर्गत नहीं आता है, उसे अपील योग्य माना जाता है, तो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का संपूर्ण उद्देश्य विफल हो जाएगा, और एक नावधिकरण वाद के विचारण के दौरान पारित प्रत्येक आदेश अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील योग्य होगा। प्रकटीकरण, निरीक्षण, वाद प्रबंधन सुनवाई, साक्ष्य की ग्राह्यता, विवाद्यकों को विरचित करने, परिप्रश्नों आदि से संबंधित आदेशों सहित ऐसे आदेश बड़ी संख्या में होंगे। यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को अधिनियमित करने में संसद के इच्छित उद्देश्य का उपहास उड़ाएगा, जो कि एक विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक वादों में विचारण में तेजी लाना और अंतर्वर्ती अपीलों की संख्या को सीमित करना है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन किसी पक्षकार को जोड़ने का आदेश नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील योग्य नहीं है। गल्फ पेट्रोकेम विवाद और वाद संव्यवहार तथा वहन संविदा (वहन पत्र) का एक पक्षकार है और इसलिए एक आवश्यक पक्षकार है। गल्फ पेट्रोकेम एक उचित पक्षकार भी है जिसकी उपस्थिति वाद में प्रश्नों पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए

आवश्यक है। वाद-पत्र की कंडिका 10 से 12 के अभिवचन [पृष्ठ 264] जिन्हें आक्षेपित निर्णय के पृष्ठ 11-13 पर उद्धृत किया गया है, यह प्रदर्शित करते हैं कि गल्फ पेट्रोकेम एक उचित और आवश्यक पक्षकार है भले ही उत्तरदाता वर्तमान वाद में उनके विरुद्ध किसी राहत का दावा न करने का विकल्प चुन सकता है। [कंडिकाएं 81-83] [35-जी-एच; 36-ए-ई]

अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा (1995) 3 एस.सी.सी. 147 : [1994] 5 सप्लीमेंट एस.सी.आर. 135 – इन पर अवलंबन किया गया।

2.3 2.3 नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश से उच्च न्यायालय की खंडपीठ को अपील के लिए मंच प्रदान करती है। नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के आलोक में अभिव्यक्ति "कोई अंतरिम आदेश" को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43, नियम 1 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 14 के अध्यारोही प्रावधान का उद्देश्य नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 को शून्य करना नहीं है। नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है चाहे वे मूल कार्यवाहियां हों या अपीलीय कार्यवाहियां। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के साथ नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 और 14 के सामंजस्यपूर्ण पठन पर, नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग को एक अंतः-न्यायालय अपील, नावधिकरण अधिनियम के अधीन किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से या नावधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसे अंतरिम आदेश से होगी जो आदेश 43, नियम 1 में विनिर्दिष्ट आदेशों से संबंधित हो। [कंडिकाएं 84-86] [36-एफ-एच; 37-ए-बी]

2.4 यह संभवतः नावधिकरण अधिनियम का विधायी उद्देश्य नहीं हो सकता था कि सभी अंतरिम आदेशों को अपील योग्य बनाया जाए। अभिव्यक्ति "अंतरिम आदेश" की इतनी

व्यापक व्याख्या का अर्थ यह होगा कि कोई भी पक्षकार शपथ-पत्र मंगवाने और इसी तरह के महत्वहीन आदेशों से भी अपील दायर करके विचारण और अंतिम निस्तारण में विलंब करने में सक्षम होगा। इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि नावधिकरण अधिनियम द्वारा शासित किसी नावधिकरण वाद में किसी पक्षकार को जोड़ने के लिए उसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) के आदेश से उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग को अपील नहीं होगी। अन्यथा भी, खंडपीठ ने वाणिज्यिक प्रभाग (एकल न्यायाधीश) के उस आदेश के विरुद्ध अपील को अनुज्ञात करने में विधि की भूल की है जिसमें गल्फ पेट्रोलियम को वाद में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में जोड़ा गया था। [कंडिकाएं 88, 89] [37-डी-एफ]

चो यांग शिपिंग कंपनी लि. बनाम कोरल (यू.के.) लि. **(1997) 2 लॉयड्स रेप 641 – संदर्भित।**

मैजिक फ्रेम्स बनाम रेडियंस मीडिया प्रा. लि. **2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन मद्रास 38929 – लागू न होने योग्य अभिनिर्धारित किया गया है।**

न्यायिक संदर्भ

[2018] 1 एस.सी.आर. 915	भरोसा किया	कंडिका 73
[1990] 3 एस.सी.आर. 649	अनुसरण किया गया	कंडिका 79
[1994] 5 सप्लीमेंट एस.सी.आर. 135	भरोसा किया	कंडिका 82

दीवानी अपीलीय अधिकारिता : 2022 की दीवानी अपील सं. 6897-6898

2021 की ओ.एस.ए. (सी.ए.डी.) सं. 88 और 2021 की सी.एम.पी. सं. 16921 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 28.10.2021 के निर्णय और आदेश से।

श्री के. वी. विश्वनाथन, श्री प्रशांत एस. प्रताप, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अमिताव मजुमदार, श्री अरविंद कुमार गुप्ता, श्रीमती पबिता दत्ता, श्री ऋषि भारद्वाज, श्री अमर्त्य सरण, श्री ए. सुमंत गुप्ता, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

श्री जरीफ भरुचा, श्री आदित्य वर्मा, श्री बिमल राजशेखर, श्री चंद्रशेखर हरिध, श्रीमती प्रियमवदा मिश्रा, श्री ऋग्वेद प्रसाद, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय निम्नांकित द्वारा प्रतिपादित किया गया

इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति

अनुमति प्रदान की जाती है।

2. ये अपीलें मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग द्वारा पारित दिनांक 28 अक्टूबर 2021 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध हैं, जिसके द्वारा उत्तरदाता द्वारा दायर 2021की ओ.एस.ए. (सी.ए.डी.) सं. 88 नामक वाणिज्यिक अपील को अनुज्ञात किया गया है, और उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) द्वारा पारित दिनांक 24 सितंबर 2021 के उस आदेश को अपास्त किया गया है, जिसमें उत्तरदाता, बैंक नेशनेल डी जेनेवे द्वारा दायर नावधिकरण वाद, जो 2021 की सी.एस. (वाणिज्यिक प्रभाग) सं. 96 है, में गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था।

3. अपीलकर्ता, मैसर्स गैलेक्सी मरीन सर्विसेज लिमिटेड पोत, एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी, जो लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ एक समुद्र-गामी तेल टैंकर है, का पंजीकृत स्वामी है, जिसे इसके बाद "पोत" के रूप में संदर्भित किया गया है।

4. मैसर्स पोलारिस मरीन सर्विसेज ने, मैसर्स गैलेक्सी मरीन सर्विसेज के वाणिज्यिक प्रबंधकों के रूप में कार्य करते हुए, प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक के साथ एक पोत भाटक पत्र समझौता किया, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत एक कंपनी है और सिंगापुर स्थित एक प्रसिद्ध समुद्री कंपनी विराना शिपिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है, जो प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक को पोत के चार्टर के लिए है। प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक ने बदले में समुद्री ईंधन तेल के कार्गो के वहन के लिए पोत को गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. को उप-चार्टर पर दिया।

5. 6 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) से 27-28,000 मीट्रिक टन (एम.टी.) समुद्री ईंधन की खरीद के लिए एक संविदा की, जिसे फुजैराह में उतारने के लिए कांडला बंदरगाह पर लादा जाना था।

6. गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने उत्तरदाता, बैंक कैंटोनल डी जेनेवे, जिसे इसके बाद उत्तरदाता बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है, से आई.ओ.सी. से उक्त 27-28,000 मीट्रिक टन समुद्री ईंधन तेल की खरीद के वित्तपोषण का अनुरोध किया। गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने उत्तरदाता को सूचित किया कि समुद्री ईंधन तेल को फुजैराह में सुपुर्दगी के लिए अरामको को खुले ऋण पर बेचा गया था।

7. दिनांक 11 मई 2020 के एक पत्र द्वारा, उत्तरदाता बैंक ने गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. से गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. और अरामको के बीच विक्रय संविदा की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया और कुछ स्पष्टीकरण भी मांगे। उसी दिन अर्थात्, 11 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. और अरामको ने बीजक की तारीख से 60 दिनों के ऋण के विरुद्ध, 23-30 मई 2020 के बीच फुजैराह में समुद्री ईंधन तेल की सुपुर्दगी के लिए एक विक्रय संविदा की।

8. 12 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. और अरामको के बीच विक्रय संविदा की एक प्रति उत्तरदाता बैंक को अग्रेषित की गई। तत्पश्चात्, उत्तरदाता बैंक संव्यवहार का वित्तपोषण करने के लिए सहमत हो गया। उत्तरदाता बैंक ने आई.ओ.सी. के पक्ष में 6,050,000.00 यू.एस.डी. के लिए एक प्रत्यय पत्र जारी किया। प्रत्यय पत्र ने यह प्रावधान किया कि यदि मूल वहन पत्र उपलब्ध नहीं थे, तो प्रत्यय पत्र के अधीन भुगतान एक क्षतिपूर्ति पत्र के विरुद्ध किया जाना होगा।

9. 15 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने उत्तरदाता बैंक से उतराई बंदरगाह को फुजैराह से सिंगापुर में बदलकर प्रत्यय पत्र को संशोधित करने का अनुरोध किया। उत्तरदाता बैंक ने प्रस्तावित संशोधन पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे।

10. 15 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. और अरामको ने अपनी विक्रय संविदा में उतराई बंदरगाह को फुजैराह से सिंगापुर बदलते हुए एक परिशिष्ट बनाया। 17 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने विक्रय संविदा के परिशिष्ट की एक प्रति, उत्तरदाता बैंक को अग्रेषित की। 18 मई 2020 को, उत्तरदाता बैंक ने उतराई बंदरगाह को फुजैराह से सिंगापुर में बदलकर प्रत्यय पत्र को संशोधित किया।

11. 21 मई 2020 को, पोत के मास्टर ने समुद्री ईंधन के कार्गो के संबंध में वहन पत्र सं. 21052020/01 जारी किया। वहन पत्र के निबंधनों में परेषिती उत्तरदाता बैंक था, 'अधिसूचित पक्षकार' गल्फ पेट्रोकेम एफ.जेड.सी. था और उतराई बंदरगाह सिंगापुर था। उक्त दिनांक को गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने पोत के मास्टर को निर्देश दिया कि कार्गो को सिंगापुर में होराइजन टर्मिनल पर शेवरॉन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "शेवरॉन" के रूप में संदर्भित किया गया है) को उतारा जाना चाहिए।

12. 24 मई 2020 को, प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक. ने पोलारिस मरीन सर्विसेज को एक क्षतिपूर्ति पत्र दिया। बदले में गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक. को एक प्रति-क्षतिपूर्ति दी।

13. आई.ओ.सी. ने गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. को 5,985,084.28 यू.एस.डी. के लिए दिनांक 27 मई 2020 का एक बीजक जारी किया। आई.ओ.सी. और गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. के बीच विक्रय संविदा के निबंधनों में, उत्तरदाता बैंक ने प्रत्यय पत्र को सम्मानित किया और बीजक के निबंधनों में देय राशि का आई.ओ.सी. को भुगतान किया।

14. 31 मई 2020 को, पोत सिंगापुर में उतराई बंदरगाह पर पहुंचा और गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. के निर्देशों के अनुसार अपनी तत्परता की सूचना निविदा की। दिनांक 2 जून 2020 के एक ईमेल द्वारा, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने पोत से कार्गो के प्राप्तकर्ता होने के नाते शेवरॉन को तत्परता की सूचना निविदा करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात्, 9

जून 2020 और 10 जून 2020 के बीच सिंगापुर के होराइजन टर्मिनल पर कार्गो को उतारा गया।

15. 11 जून 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने अरामको के साथ एक विक्रय संविदा के अधीन अरामको को 6,707,357.38 यू.एस.डी. का एक बीजक जारी किया। बीजक की देय तिथि 10 अगस्त 2020 थी अर्थात् विक्रय संविदा के निबंधनों में सहमति के अनुसार उतराई की तारीख से 60 दिन।

16. 15 जून 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने उत्तरदाता बैंक को गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. द्वारा अरामको को जारी किए गए बीजक की एक प्रति प्रदान की। 20 जुलाई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. की मूल/होल्डिंग कंपनी होने के नाते जी.पी. ग्लोबल ग्रुप ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. के वित्तीय पुनर्गठन के संबंध में एक मीडिया वक्तव्य जारी किया।

17. तत्पश्चात्, समाचार प्रतिवेदनें सामने आईं कि जी.पी. ग्लोबल ग्रुप ने गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. के भीतर एक व्यापक धोखाधड़ी का पता लगाया था। गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. और उसके कर्मचारी विभिन्न तरीकों और साधनों से अपीलकर्ता सहित विभिन्न पक्षकारों के साथ धोखाधड़ी और छल कर रहे थे।

18. उत्तरदाता बैंक ने पी. एण्ड आई. क्लब और पंजीकृत स्वामियों को एक प्रति अंकित करते हुए पोत के मास्टर को एक पत्र भेजा जिसमें यह कहा गया कि देय तिथि पर उत्तरदाता बैंक द्वारा कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था जो कार्गो की सुपुर्दगी के 60 दिन बाद है। इसलिए कार्गो को उत्तरदाता बैंक की सहमति के बिना नहीं उतारा जाना चाहिए। हालांकि, इस समय तक गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. द्वारा शेवरॉन को दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्गो पहले ही उतारा और सुपुर्द किया जा चुका था।

19. अक्टूबर 2020 में, ऐसे समाचार प्रतिवेदन थे कि एक अन्य कंपनी, गल्फ पेट्रोल सप्लाइज़ एल.एल.सी. ने ईंधन तेल सहित परिष्कृत उत्पाद कार्गो के लिए संविदाओं के संबंध

में धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही दायर की थी। यह आरोप लगाया गया था कि गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. ने गल्फ पेट्रोल सप्लाइज़ एल.एल.सी. को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए कई जाली संविदाएं बनाई थीं और धोखाधड़ीपूर्ण/फर्जी बीजक जारी किए थे।

20. 8 मार्च 2021 को, उत्तरदाता बैंक ने मद्रास उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के समक्ष 2021 की सी.एस. (वाणिज्यिक प्रभाग) सं. 96 नामक नावधिकरण वाद संस्थित किया।६

21. उक्त नावधिकरण वाद में दायर वादपत्र में, उत्तरदाता बैंक ने निम्नलिखित अभिवचन किया:-

> *"7. वादी यह निवेदन करता है कि वर्तमान वाद में उसका दावा एक वहन पत्र के अधीन उत्पन्न होता है और कार्गो की गलत-सुपुर्दगी के लिए है। यह दावा नावधिकरण (अधिकारिता और समुद्री दावों का निपटारा) अधिनियम, 2017 (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 4 (1) (एफ) के अधीन एक समुद्री दावा है। यह दावा प्रतिवादी पोत के स्वामियों के विरुद्ध है। प्रतिवादी पोत इस माननीय न्यायालय की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर है। परिस्थितियों में वादी प्रतिवादी पोत के विरुद्ध वर्तमान इन रेम वाद दायर करने का हकदार है और अपने समुद्री दावे के संबंध में प्रतिवादी पोत की गिरफ्तारी के आदेश का हकदार है।*
>
> *8. वादी प्रतिवादी पोत के स्वामी द्वारा कांडला से सिंगापुर तक 27,132.411 मीट्रिक टन समुद्री ईंधन के वहन के लिए जारी दिनांक 21 मई 2020 के मूल वहन पत्र सं. 21052020/01 का विधिपूर्ण धारक है।*

9. वर्तमान वाद में केंद्रीय मुद्दा यह है कि प्रतिवादी पोत के स्वामी ने अवैध रूप से और अपने दायित्वों के उल्लंघन में वादी के कार्गो की मूल वहन पत्र को प्रस्तुत किए बिना किसी और को गलत-सुपुर्दगी की है। इसलिए, प्रतिवादी पोत और या उसका स्वामी संपरिवर्तन के अपकृत्य के लिए वादी के प्रति उत्तरदायी है। वादी अपनी हानि के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है। प्रतिवादी पोत का दायित्व एक बार स्थापित हो जाता है जब वादी यह प्रदर्शित करता है कि वह मूल वहन पत्र का विधिपूर्ण धारक बना हुआ है और प्रतिवादी पोत ने अवैध रूप से कार्गो को किसी और को सुपुर्द कर दिया है। हालांकि, कुछ पृष्ठभूमि प्रदान करना उपयोगी हो सकता है।

10. 8 मई 2020 को, एक गल्फ पेट्रोकेम एफ.जेड.सी. ("जी.पी.") ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. ("आई.ओ.सी.एल.") से ईंधन की खरीद और अरामको ट्रेडिंग फुजैराह एफ.जेड.ई. ("अरामको") को समुद्री ईंधन की आगे बिक्री के संव्यवहार के लिए वित्तपोषण की मांग करते हुए वादी से संपर्क किया। प्रस्तावित संव्यवहार निम्नलिखित था :

(ए) जी.पी. आई.ओ.सी.एल. से 220.5880 यू.एस.डी. प्रति मीट्रिक टन पर समुद्री ईंधन खरीदेगा।

(बी) जी.पी. अरामको को 246.726 यू.एस.डी. प्रति मीट्रिक टन पर समुद्री ईंधन बेचेगा।

(सी) कार्गो के लिए लदान बंदरगाह कांडला होगा और उतराई बंदरगाह फुजैराह होगा।

(डी) वादी प्रत्यय पत्र के माध्यम से जी.पी. द्वारा आई.ओ.सी.एल. से ईंधन की खरीद का वित्तपोषण करेगा ताकि जी.पी. को कार्गो प्राप्त करने और इसे अरामको को आगे बेचने में सक्षम बनाया जा सके। आगे की बिक्री के लिए

खरीद मूल्य अरामको द्वारा वादी के पास रखे गए जी.पी. के बैंक खाते में प्रेषित किया जाएगा।

11. जी.पी. द्वारा अरामको को की गई बिक्री के अधीन भुगतान के निबंधन खुले ऋण पर होने थे क्योंकि अरामको एक प्रमुख तेल कंपनी थी। दूसरे शब्दों में, वादी अरामको के नाम पर भरोसा करेगा क्योंकि उन्होंने उनसे देय भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में कभी चूक नहीं की थी। संविदा में व्यक्त प्रासंगिक भुगतान के निबंधनों में कहा गया है:

"भुगतान विक्रेता के बीजक और सी.ओ.क्यू. [गुणवत्ता का प्रमाण पत्र] की प्रस्तुति के विरुद्ध बीजक की तारीख (बीजक की दिनांक = दिन 0) से 60 (साठ) कैलेंडर दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।"

12. इस प्रतिभूति के पहलू के संबंध में पक्षकारों के बीच समझ निम्नलिखित थी:

(ए) यह सहमति हुई थी कि कार्गो का प्रतिनिधित्व करने वाला मूल वहन पत्र पोत स्वामी द्वारा वादी के आदेश पर जारी किया जाएगा। वादी द्वारा वित्तपोषित और भुगतान किए गए ईंधन के कार्गो का स्वत्व/संपत्ति वादी में निहित होगी।

(बी) अरामको से भुगतान करने के दायित्व से स्वतंत्र, वादी मूल वहन पत्र का विधिपूर्ण धारक बना रहेगा और उसके अधीन कार्गो की सुपुर्दगी का हकदार होगा। वादी के दावे के लिए प्रतिभूति कार्गो था, अर्थात्, स्वयं ईंधन। हालांकि, जब तक वादी को अरामको की आगे की बिक्री की पुष्टि प्राप्त नहीं होती, तब तक ईंधन के कार्गो का स्वत्व/संपत्ति मूल वहन पत्र का विधिपूर्ण धारक होने के आधार पर वादी में निहित होगी।

ख. अरामको से भुगतान करने के दायित्व से स्वतंत्र, वादी मूल वहन पत्र का विधिपूर्ण धारक बना रहेगा और उसके अधीन कार्गो की सुपुर्दगी का हकदार

होगा। वादी के दावे के लिए प्रतिभूति कार्गो था, अर्थात्, स्वयं ईंधन। हालांकि, जब तक वादी को अरामको की आगे की बिक्री की पुष्टि प्राप्त नहीं होती, तब तक ईंधन के कार्गो का स्वत्व/संपत्ति मूल वहन पत्र का विधिपूर्ण धारक होने के आधार पर वादी में निहित होगी।

11. उपर्युक्त प्रस्तावित संव्यवहार पर जी.पी. और वादी के बीच आगे ईमेल का आदान-प्रदान किया गया। जी.पी. ने, 8 मई 2020 को, वादी को अपने (क्रेता के रूप में) और आई.ओ.सी.एल. (विक्रेता के रूप में) के बीच की संविदा प्रदान की थी। 12 मई 2020 को, उपर्युक्त समझ के आधार पर, वादी ने आई.ओ.सी.एल. के पक्ष में प्रत्यय पत्र खोला। उतराई बंदरगाह के संबंध में जी.पी. और अरामको के बीच संविदा में कुछ संशोधन हुए थे - इसे फुजैराह से सिंगापुर में बदल दिया गया था। यह जी.पी. द्वारा 17 मई 2020 को वादी को सूचित किया गया था। प्रत्यय पत्र में तदनुरूपी संशोधन वादी द्वारा 18 मई 2020 को किया गया था।

***

13. वहन पत्र, वाणिज्यिक बीजक आदि जैसे प्रासंगिक दस्तावेजों पर वादी द्वारा खोले गए प्रत्यय पत्र के अधीन आई.ओ.सी.एल. द्वारा बातचीत की गई थी। तदनुसार वादी ने जी.पी. के साथ वित्तीय करार के अनुसार आई.ओ.सी.एल. को भुगतान किया। वहन पत्र वादी के आदेश पर था। वहन पत्र के आदेश पर बनाए जाने और वहन पत्र का विधिपूर्ण धारक होने के कारण, वादी ने आगे के अग्रिम पृष्ठांकन के लंबित रहने तक, माल के संबंध में प्रतिवादी पोत के विरुद्ध वाद के अधिकार प्राप्त किए।

14. वादी तब चिंतित था, जब, 10 अगस्त 2020 (अर्थात्, अरामको द्वारा कार्गो के लिए भुगतान करने की समय सीमा) तेजी से करीब आ रही थी, ऐसे किसी भुगतान के बारे में कोई अद्यतन नहीं था और न ही कार्गो की स्थिति की कोई

खबर थी। यह इस तथ्य के बावजूद है कि, मूल वहन पत्र के कब्जे में होने के आधार पर, यदि कार्गो के संबंध में कोई शरारत की गई थी, तो उसके पास प्रतिवादी पोत के विरुद्ध वाद के अधिकार होंगे।

***

17. अब यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी पोत ने मूल वहन पत्र को प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना, 10 अगस्त 2020 को या उसके आसपास, अरामको या किसी अज्ञात तीसरे पक्षकार को कार्गो की सुपुर्दगी कर दी है। जी.पी. द्वारा अरामको पर 11 जून 2020 को 6,705,357.38 यू.एस.डी. (लगभग 49,07,04,087.89 आई.एन.आर. (केवल उनचास करोड़, सात लाख, चार हजार और सतासी)) (1 यू.एस.डी. = 73 आई.एन.आर. पर गणना की गई) की राशि के लिए एक बीजक बनाया गया था। वादी को इसके बारे में बाद में तब पता चला जब जी.पी. के विरुद्ध एक धोखाधड़ी जांच के दौरान।"

22. 9 मार्च 2021 को, मद्रास उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) ने पोत की गिरफ्तारी का एक एकपक्षीय आदेश पारित किया। तत्पश्चात्, 26 मार्च 2021 को, उत्तरदाता बैंक ने उक्त नावधिकरण वाद में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (जिसे इसके बाद "वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XIV नियम 8 और आदेश XIIIA के अधीन संक्षिप्त निर्णय के लिए 2021 की आवेदन सं. 1494 दायर किया।

23. अपीलकर्ता द्वारा किए गए एक आवेदन पर, मद्रास उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने उत्तरदाता बैंक के दावे को सुरक्षित करने के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की। तत्पश्चात्, 6 जुलाई 2021 को, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग ने पोत की गिरफ्तारी के आदेश को रद्द करने और पोत को बाहर जाने के लिए अनुज्ञात करने का एक आदेश पारित किया।

24. 16 जुलाई 2021 को, अपीलकर्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV नियम 8 और आदेश XIIA के अधीन संक्षिप्त निर्णय के लिए उत्तरदाता बैंक द्वारा दायर अंतरिम आवेदन, जो कि आवेदन सं. 1494/2021 है, पर अपना उत्तर दायर किया। अपने उत्तर/प्रति-शपथपत्र में, अपीलकर्ता ने अभिवचन किया:-

> "(के) वादी का ग्राहक गल्फ पेट्रोकेम, जिस पर वादी के साथ छल और धोखाधड़ी करने और वादी को झूठे और धोखाधड़ीपूर्ण दस्तावेज प्रदान करने का आरोप है, जिसके आधार पर वादी द्वारा ऋण प्रदान किया गया था, एक आवश्यक और/या उचित पक्षकार है जिसकी उपस्थिति वाद में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को प्रभावी ढंग से न्यायनिर्णित करने के लिए आवश्यक है। क्या वादी को गल्फ पेट्रोकेम द्वारा किसी राशि का भुगतान किया गया है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केवल विचारण के समय ही विचार किया जा सकता है और इसके लिए गल्फ पेट्रोकेम की उपस्थिति आवश्यक है..."

25. 13 अगस्त 2021 को, उत्तरदाता बैंक ने संक्षिप्त निर्णय के लिए उपर्युक्त 2021 की आवेदन सं. 1494 में अपना प्रत्युत्तर शपथपत्र दायर किया। संबंधित पक्षकारों को सुनने के बाद और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) ने दिनांक 24 सितंबर 2021 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उत्तरदाता बैंक को गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. को वाद में एक आवश्यक और उचित पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

26. एकल पीठ ने संप्रेक्षण किया और अभिनिर्धारित किया:-

> *"6. प्रतिवादी पोत के स्वामी/एकमात्र प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित कथन और सामान्य प्रति-शपथपत्र में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि निर्देशों पर, वादी के ग्राहक द्वारा जारी सुपुर्दगी आदेश के आधार पर सिंगापुर बंदरगाह पर माल की*

सुपुर्दगी की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, मूल वहन पत्र की आवश्यकता नहीं है। वादी के ग्राहक, गल्फ पेट्रोकेम द्वारा दिनांक 21.05.2020 के ई-मेल संचार पर कार्रवाई करते हुए, प्रतिवादी ने सिंगापुर में कार्गो की सुपुर्दगी की। वादी, जी.पी. का वित्तपोषक है और प्रतिवादी, जी.पी. के लिए वाहक है। वादी कार्गो का स्वामी नहीं है। इसलिए पक्षकार के कुसंयोजन और अ-संयोजन के लिए वाद को खारिज किया जाना चाहिए। यदि वादी का कोई धन संबंधी दावा है, तो उसे संविदा के उल्लंघन के लिए अपने ग्राहक गल्फ पेट्रोकेम (जी.पी.) के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी न कि समुद्री दावे के लिए वाद। वाहक के विरुद्ध वाद जैसे कि यह एक समुद्री दावा हो, विधि का दुरुपयोग है।

7. सुना गया। अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

8. वाद संव्यवहार में, गल्फ पेट्रोकेम (जी.पी.), जो वादी का ग्राहक है, मुख्य खिलाड़ी है जिसके निर्देशों पर प्रतिवादी द्वारा सिंगापुर में माल की सुपुर्दगी की गई है। आई.ओ.सी.एल. ने 6,050,000 यू.एस.डी. के लिए वादी द्वारा जारी एल.सी. के आधार पर जी.पी. को समुद्री ईंधन बेचा है। जी.पी. ने कार्गो के परिवहन के लिए प्रतिवादी को नियुक्त किया है। वहन पत्र के अनुसार, कार्गो की सुपुर्दगी सिंगापुर में होनी चाहिए। प्रतिवादी ने प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक, सिंगापुर द्वारा दिए गए दिनांक 24.05.2020 के क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर सिंगापुर बंदरगाह पर कार्गो उतारा है। वादी से उत्पन्न दिनांक 12.05.2020 के दस्तावेजी प्रत्यय पत्र खोलने (एल.सी.) में एक खंड है जो इंगित करता है कि मूल वहन पत्र की अस्थायी अनुपलब्धता के मामले में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने पर कार्गो की सुपुर्दगी की जा सकती है।

9. दस्तावेजों और अभिवचित तथ्यों से, इस न्यायालय का यह विचार है कि गल्फ पेट्रोकेम (जी.पी.) जो वादी का ग्राहक है, वाद में उचित और आवश्यक

पक्षकार है। जब तक वादी जी.पी. को एक पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाता है, तब तक उचित न्याय प्रदान करने के लिए वाद का न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है।"

27. उत्तरदाता बैंक ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 13(1) के अधीन, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (खंड पीठ) में, दिनांक 24 सितंबर 2021 के उक्त आदेश के विरुद्ध, 2021 की ओ.एस.ए. (सी.ए.डी.) सं. 88 के रूप में एक अपील दायर की। इस अपील में आक्षेपित दिनांक 28 अक्टूबर 2021 के निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (खंड पीठ) ने अपील को अनुज्ञात किया और एकल पीठ (वाणिज्यिक प्रभाग) के निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया, और अपीलकर्ता पर 1,50,000/- रुपये का खर्च अधिरोपित किया। अपील की पोषणीयता के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया।

28. पक्षकारों के निवेदनों को दर्ज करने के बाद, खंड पीठ ने संप्रेक्षण किया और अभिनिर्धारित किया:

"12. वास्तव में, आक्षेपित आदेश आठ कंडिका में फैला हुआ है। पहली पांच प्रारंभिक कंडिका हैं। छठी कंडिका में, यह दर्ज किया गया है कि एकमात्र प्रतिवादी ने सिंगापुर में माल की सुपुर्दगी संभवतः वादी के ग्राहक द्वारा जारी सुपुर्दगी आदेश के आधार पर की थी और प्रतिवादी ने संभवतः गल्फ पेट्रोकेम द्वारा जारी 21 मई, 2020 के एक ई-मेल के आधार पर कार्रवाई की थी। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को दर्ज किया कि वादी ने संव्यवहार का वित्तपोषण किया था और वादी कार्गो का स्वामी नहीं था और चूंकि कार्गो का स्वामी गल्फ पेट्रोकेम था जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिए वाद खारिज किए जाने योग्य था।

13. ऐसे तर्क का उल्लेख करने पर, विचारण न्यायालय ने आदेश के समर्थन में एकमात्र कंडिका में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

"8. वाद संव्यवहार में, गल्फ पेट्रोकेम (जी.पी.), जो वादी का ग्राहक है, मुख्य खिलाड़ी है जिसके निर्देश पर प्रतिवादी द्वारा सिंगापुर में माल की सुपुर्दगी की गई है। आई.ओ.सी.एल. ने 6,050,000 यू.एस.डी. के लिए वादी द्वारा जारी एल.सी. के आधार पर जी.पी. को समुद्री ईंधन बेचा है। जी.पी. ने कार्गो के परिवहन के लिए प्रतिवादी को नियुक्त किया है। वहन पत्र के अनुसार, कार्गो की सुपुर्दगी सिंगापुर में होनी चाहिए। प्रतिवादी ने प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक, सिंगापुर द्वारा दिए गए दिनांक 24.05.2020 के क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर सिंगापुर बंदरगाह पर कार्गो उतारा है। वादी से उत्पन्न दिनांक 12.05.2020 के दस्तावेजी प्रत्यय पत्र खोलने (एल.सी.) में एक खंड है जो इंगित करता है कि मूल वहन पत्र की अस्थायी अनुपलब्धता के मामले में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने पर कार्गो की सुपुर्दगी की जा सकती है।"

***

18. मामला अत्यंत संक्षिप्त दायरे में आता है। प्राथमिक दस्तावेज विवादास्पद नहीं है। वादी पोत लदान पत्र में नामित संप्रेषिती है तथा यह प्रतिवादी द्वारा भी, विशेष रूप से, स्वीकार किया गया है कि सामान्यतः संप्रेषिती ही वह होगा जो पोत लदान पत्र द्वारा आच्छादित माल की सुपुर्दगी प्राप्त करने का हकदार होगा। इस मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि गल्फ पेट्रोकेम पोत लदान पत्र में उल्लिखित सूचित पक्षकार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दस्तावेजों का अत्यधिक महत्व है तथा न्यायालयों को अंतर्निहित या किसी आनुषंगिक संव्यवहार की प्रकृति का पता लगाने का प्रयास किए बिना दस्तावेजों के अक्षर पर कार्यवाही करनी चाहिए। यदि यह अनिवार्य है कि वाहक सूचित पक्षकार के रूप में दर्शित

पक्षकार को अधिसूचित करे तो इसका अर्थ है कि पोत के आगमन की अधिसूचना या माल अवतरित करने की तत्परता की अधिसूचना ऐसे पक्षकार को दी जानी चाहिए जिस पर ऐसा पक्षकार पोत लदान पत्र प्रस्तुत करके माल का अवतरण प्राप्त करेगा। यह भी संभव है कि संप्रेषिती वाहक को सूचित पक्षकार के पक्ष में या संप्रेषिती की पसंद के किसी अन्य के पक्ष में माल छोड़ने का प्राधिकार दे सकता है क्योंकि संप्रेषिती को पोत लदान पत्र के अंतर्गत सुपुर्दगी प्राप्त करने के अपने अधिकार को अपनी पसंद के किसी पक्षकार को हस्तांतरित करने का हक है।

19. जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि केवल परेषिती और अकेले परेषिती ही निर्देश जारी कर सकता है या वहन पत्र के अंतर्गत आने वाले माल की किसी तीसरे पक्षकार को सुपुर्दगी के लिए प्राधिकृत कर सकता है। वाहक किसी तीसरे पक्षकार के निर्देशों या आदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वहन पत्र, एक अर्थ में, कार्गो से संबंधित हक का दस्तावेज है और यह प्राथमिक है कि केवल माल के स्वामी के पास ही माल को अन्यसंक्रामित करने या उसे स्थानांतरित करने का अधिकार होता है।

20. प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक द्वारा जारी दिनांक 24 मई, 2020 के पत्र में यह निहित था कि ऐसी इकाई को वाहक से कुछ असामान्य या सामान्य से हटकर करने की आवश्यकता थी, और इस तरह, ऐसे विचलन के दौरान वाहक को जोखिम में डालना था। परिणामस्वरूप, वाहक को सामान्य प्रक्रिया से विचलित होने के लिए प्रेरित करने हेतु, प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक के निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए वाहक के विरुद्ध किए जाने वाले किसी भी दावे के प्रति प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक ने वाहक को क्षतिरहित रखते हुए क्षतिपूर्ति की। वादी का प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक या किसी भी निर्देश से कोई लेना-देना नहीं था जो प्रॉफिटेबल वेल्थ

इंक या गल्फ पेट्रोकेम या यहाँ तक कि गैपाजामा के महाराजा ने वाहक को जारी किए हों। ये निर्देश, चाहे गल्फ पेट्रोकेम द्वारा जारी किए गए हों या प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक द्वारा, वादी के किसी प्राधिकार द्वारा समर्थित नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी और तीसरे पक्षकारों के बीच क्या व्यवस्था रही होगी, वह इस वाद में और इसमें वादी के दावे के संदर्भ में किसी प्रासंगिकता की नहीं हो सकती है।

21. वाद पत्र की कंडिका 10 से 12 के कथनों के संबंध में, कभी-कभी बहुत अधिक न कहना ही बेहतर होता है। हालाँकि, कथनों को वादी के दावे और प्रतिवादी के विरुद्ध वादी के वादहेतुक तक ले जाने वाली एक वृत्तांत के भाग के रूप में देखा जा सकता है। कार्रवाई की योजना और प्रतिवादी वाहक के विरुद्ध वहन पत्र में परेषिती के रूप में वादी के विशिष्ट दावे में, वादी और गल्फ पेट्रोकेम के बीच या गल्फ पेट्रोकेम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच या यहाँ तक कि गल्फ पेट्रोकेम और अरामको के बीच के संव्यवहारों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। जब तक वहन पत्र में वादी का नाम परेषिती के रूप में प्रकट हुआ, तब तक प्रतिवादी केवल वादी को या वादी के आदेश पर माल की सुपुर्दगी करने के लिए वादी के प्रति बाध्य था और प्रतिवादी द्वारा दूसरों द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर कार्य करने से वादी का अधिकार या वहन पत्र के तहत वादी का दावा प्रभावित नहीं हुआ होगा।

22. ऐसी परिस्थितियों में, गल्फ पेट्रोकेम इंक, जिसे विषयगत संव्यवहार के संबंध में वादी द्वारा वित्तपोषित किया गया होगा, वहन की संविदा के उल्लंघन के लिए और वादी को या वादी के आदेश पर माल की सुपुर्दगी करने में वाहक की विफलता के लिए माल के वाहक के विरुद्ध वादी के साधारण दावे में न तो एक आवश्यक और न ही एक उचित पक्षकार है। उद्योग में किसी अजनबी के अनुरोध

पर माल का छोड़ा जाना असामान्य नहीं है, लेकिन यही कारण है कि वह अजनबी वाहक की क्षतिपूर्ति करता है। इसकी संभावना अधिक है कि जिस इकाई ने प्रतिवादी को सिंगापुर में माल उतारने के लिए प्रेरित किया, वह प्रतिवादी की पहुंच से बाहर हो सकती है; लेकिन यह वादी के दावे का विरोध करने का बहाना नहीं हो सकता है। यह भी समान रूप से संभव है कि वादी ने प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक द्वारा जारी सुपुर्दगी निर्देशों को मौन सहमति दे दी हो, लेकिन जब वादी ने ऐसा नहीं किया है, तो प्रतिवादी केवल उस इकाई द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति का ही पीछा कर सकता है।

23. इसमें दिए गए संप्रेक्षणों को उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिस पर विचार किया जाना आवश्यक था और वादी द्वारा दायर संक्षिप्त निर्णय के आवेदन के शीघ्र निपटान के दौरान विचारण न्यायालय पर इसका अनुचित प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

24. दिनांक 24 सितंबर 2021 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह संक्षिप्त निर्णय के आवेदन को ले और उसका विधि के अनुसार उतनी शीघ्रता से निपटान करे जितनी विचारण न्यायालय के कार्य की अनुमति हो। 2021 की ओ.एस.ए. (सी.ए.डी.) सं. 88 को उपर्युक्त के अनुसार अनुज्ञात किया जाता है। प्रतिवादी 1,50,000/- रुपये निर्धारित खर्च का भुगतान करेगा। 2021 की सी.एम.पी. सं. 16921 को बंद किया जाता है।"

29. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, दस्तावेजों का अत्यधिक मूल्य होता है और न्यायालयों को दस्तावेजों के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए जैसा कि खंड पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। हालाँकि, यह स्वीकार करना कठिन है कि न्यायालय के लिए अंतर्निहित संव्यवहार की प्रकृति का पता लगाना आवश्यक नहीं है। खंड पीठ ने सही

ध्यान दिया कि जब एक वाहक अधिसूचित पक्षकार के रूप में इंगित पक्षकार को सूचित करता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि पोत के आगमन की सूचना या कार्गो उतारने की तत्परता की सूचना ऐसे पक्षकार को दी जानी चाहिए, जिसके बाद वह पक्षकार वहन पत्र प्रस्तुत करेगा और कार्गो की उतराई प्राप्त करेगा।

30. वहन पत्र को शासित करने वाली विधि अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सामान्य विधि के नियमों का एक संयोजन है, जबकि पोत भाटक पत्र पूरी तरह से सामान्य विधि द्वारा शासित होते हैं।

31. 1924 में तैयार किए गए वहन पत्र से संबंधित विधि के कुछ नियमों के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसे हेग नियमों के रूप में जाना जाता है, वहन पत्र के अंतर्गत आने वाले कार्गो के संबंध में वाहकों के दायित्व को शासित करते हैं। हेग नियम, जो अनिवार्य हैं, जहाज के स्वामी पर कुछ अपरिहार्य उत्तरदायित्व अधिरोपित करते हैं, लेकिन बदले में, उन्मुक्तियों की एक विस्तृत सूची, दायित्व की सीमा का बचाव और दावे लाने के लिए एक संक्षिप्त समय सीमा प्रदान करते हैं।

32. 1968 में, हेग-विस्बी नियमों ने संशोधनों सहित हेग नियमों का एक संशोधित संस्करण पेश किया। हेग-विस्बी नियमों को 'कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, 1971' द्वारा अंग्रेजी विधि में अधिनियमित किया गया है। हेग/हेग-विस्बी नियमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से अपनाया गया था।

33. 1978 में, संयुक्त राष्ट्र ने समुद्र द्वारा माल के वहन पर एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में जो नियम सामने आए, जिन्हें हैम्बर्ग नियमों के रूप में जाना जाता है, वे 1992 में लागू हुए। हालाँकि, इन नियमों को विश्व के प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

34. 2008 में समुद्र द्वारा पूर्णतः या अंशतः माल के अंतर्राष्ट्रीय वहन के लिए संविदाओं पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अपनाकर हेग/हेग-विस्बी व्यवस्था को प्रतिस्थापित

करने का एक प्रयास किया गया था, जिसे रॉटरडैम नियमों के रूप में जाना जाता है। रॉटरडैम नियमों को भी समान रूप से लागू नहीं किया गया है।

35. आधुनिक अंग्रेजी विधि में, वहन पत्र उन विषयों के संबंध में हेग-विस्बी नियमों द्वारा शासित होते हैं जो इन नियमों द्वारा संबोधित किए गए हैं और अन्यथा सामान्य विधि के नियमों द्वारा शासित होते हैं।

36. वहन पत्र एक प्रकार का परिवहन दस्तावेज है जिसका उपयोग समुद्र द्वारा माल के वहन के संबंध में या स्वामी की ओर से, या कम सामान्यतः ले जाने वाले जहाज के चार्टरर की ओर से किया जा सकता है। वहन पत्र का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब किसी पोत को एक सामान्य जहाज के रूप में नियोजित किया जाता है, जिसे किसी व्यक्ति के माल को ले जाने के लिए किसी विशेष यात्रा के लिए लगाया जाता है।

37. एक वहन पत्र प्राप्त माल की मात्रा और स्थिति दोनों के संबंध में वाहक को सौंपे गए माल के लिए रसीद के रूप में कार्य करता है।

38. वहन पत्र माल वहन के लिए पोत तय करने की संविदा की शर्तों के साक्ष्य के रूप में भी कार्य करता है। उस संविदा के निकटतम पक्षकारों, अर्थात् वाहक और परेषक के बीच, वहन पत्र द्वारा प्रदान किया गया साक्ष्य निश्चायक नहीं है और इसे बाहरी साक्ष्य द्वारा संपूरित या यहाँ तक कि अध्यारोहित किया जा सकता है। हालाँकि, एक बार वहन पत्र स्थानांतरित हो जाने के बाद, वहन पत्र वाहक और नए धारक के बीच, माल वहन के लिए पोत तय करने की संविदा की शर्तों के संबंध में निश्चायक साक्ष्य प्रदान करता है। इस अर्थ में वहन पत्र के बारे में कहा जा सकता है कि इसमें संविदा "अंतर्विष्ट" है।

39. अंत में, हेग-विस्बी नियम, जिन्हें समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम 1971 द्वारा अंग्रेजी विधि में प्रभावी किया गया है, विधि के मामले के रूप में “वहन पत्र या स्वत्व के किसी भी समान दस्तावेज द्वारा आच्छादित” वहन की संविदाओं पर लागू होते हैं। यह कि

माल वहन के लिए पोत तय करने की संविदा एक वहन पत्र जारी करने पर विचार करती है, इसलिए, हेग-विस्बी नियमों के आवेदन को आकर्षित करने का कार्य करती है।

40. कार्वर ऑन बिल्स ऑफ लैडिंग (2005) कहता है, वहन पत्र समुद्र द्वारा माल के वाहक द्वारा या उसकी ओर से उस व्यक्ति, (जिसे आमतौर पर परेषक के रूप में जाना जाता है) को जारी किया गया एक दस्तावेज है जिसके साथ उसने माल के वहन के लिए संविदा की है।

41. स्क्रटन ऑन चार्टरपार्टीज एंड बिल्स ऑफ लैडिंग (1984) कहता है कि "वहन पत्र संविदा नहीं है, क्योंकि वह वहन पत्र पर हस्ताक्षर करने और सुपुर्दगी से पहले की जा चुकी है, लेकिन यह संविदा की शर्तों का उत्कृष्ट साक्ष्य है और एक पृष्ठांकिती के हाथों में, एकमात्र साक्ष्य है।"

42. वहन पत्र की तीन सामान्य विशेषताएँ हैं (i) यह वाहक द्वारा लदे हुए या प्राप्त माल के लिए एक रसीद का गठन करता है; (बी) यह ऐसे माल के लिए स्वत्व के दस्तावेज का गठन करता है; और (iii) इसमें माल से संबंधित समुद्र द्वारा वहन की संविदा अंतर्विष्ट है या यह उसका साक्ष्य देता है।

43. वहन पत्र की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। सर रिचर्ड एिकेंस "बिल्स ऑफ लैडिंग" (2006) को उद्धृत करने के लिए, "एक हाथी की तरह, वहन पत्र को परिभाषित करने की तुलना में पहचानना आम तौर पर आसान होता है"।

44. वहन पत्र अधिनियम की उद्देशिका वहन पत्र को परिभाषित नहीं करती है किंतु वहन पत्र का उल्लेख करती है। उद्देशिका इस प्रकार है "चूँकि व्यापारियों की रूढ़ि के अनुसार माल का वहन पत्र माल में स्वत्व के पृष्ठांकन द्वारा स्थानांतरणीय होने के कारण पृष्ठांकिती को पारित हो सकता है, किंतु फिर भी वहन पत्र में अंतर्विष्ट संविदा के संबंध में सभी अधिकार मूल परेषक या स्वामी में बने रहते हैं, और यह समीचीन है कि ऐसे अधिकार स्वत्व के साथ पारित होने चाहिए; यह अक्सर होता है कि जिस माल के संबंध में वहन पत्र

का हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, वह पोत पर नहीं लादा गया है, और यह उचित है कि मूल्य के लिए किसी सद्भावी धारक के हाथों में ऐसे वहन पत्र पर मास्टर या उसे हस्ताक्षरित करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए कि माल उपर्युक्तानुसार नहीं लादा गया है; यह निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है":- यद्यपि वहन पत्र की कोई परिभाषा नहीं है किंतु इसकी अवधारणा स्पष्ट है।

45. वहन पत्र द्वारा आच्छादित माल की सुपुर्दगी सामान्यतः पत्र के प्रस्तुतीकरण पर की जानी है। वाहक ऐसे पत्र के विधिपूर्ण कब्जे वाले व्यक्ति के प्रति दायी हो सकता है, यदि वह किसी अन्य को माल की गलत तरीके से सुपुर्दगी करता है। क्या वहन पत्र के धारक के अलावा किसी अन्य को माल की सुपुर्दगी दोषपूर्ण है या नहीं, यह वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

46. जैसा कि ***चो यांग शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कोरल (यू.के.)***[1] लिमिटेड में प्रेक्षित किया गया है, वहन पत्र एक संविदा नहीं है किंतु यह संविदा की शर्तों का उत्कृष्ट साक्ष्य है। संविदा की सही शर्तों को दिखाने के लिए मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना परेषक के लिए खुला है।

47. जैसा कि खंडपीठ द्वारा, इस अपील में आक्षेपित निर्णय और आदेश में प्रेक्षित किया गया है, यह भी संभव है कि परेषिती वाहक को सूचित पक्षकार के पक्ष में या किसी अन्य पक्षकार को कार्गो छोड़ने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। क्या परेषिती ने सूचित पक्षकार या किसी अन्य पक्षकार के पक्ष में कार्गो छोड़ने को प्राधिकृत किया, इसका प्रभावी रूप से वहन पत्र में सूचित पक्षकार के रूप में दिखाए गए गल्फ पेट्रोकेम की उपस्थिति में न्यायनिर्णयन किया जा सकता है।

48. यहाँ तक कि यह मानते हुए कि केवल परेषिती ही किसी तीसरे पक्षकार को वहन पत्र द्वारा आच्छादित माल की सुपुर्दगी के निर्देश जारी कर सकता है या प्राधिकृत कर सकता

---

1 (1997) 2 लॉयड्स रेप 641

है, जैसा कि खंडपीठ द्वारा प्रेक्षित किया गया है, यह प्रश्न कि क्या परेषिती ने शेवरॉन को वहन पत्र द्वारा आच्छादित माल की सुपुर्दगी प्राधिकृत करने वाले कोई निर्देश जारी किए थे, सूचित पक्षकार की उपस्थिति में प्रभावी रूप से न्यायनिर्णीत किया जा सकता है।

49. वादपत्र में किए गए प्रकथनों और विशेष रूप से कंडिका 10 से 12, जिनका आक्षेपित निर्णय और आदेश में उल्लेख किया गया है, को पढ़ने पर यह नहीं कहा जा सकता कि गल्फ पेट्रोकेम, जो उत्तरदाता बैंक द्वारा वित्तपोषित कार्गो का स्वामी है, और सूचित पक्षकार जिसने स्वीकार्य रूप से उत्तरदाता बैंक के साथ-साथ वाहक और अन्यों के साथ संचार किया था, कार्यवाहियों के लिए पूर्ण अजनबी था।

50. वहन पत्र में नामित परेषिती का आवश्यक रूप से कार्गो का स्वामी होना आवश्यक नहीं है। क्या उत्तरदाता बैंक का किसी भी निर्देश के साथ कुछ लेना-देना था जो गल्फ पेट्रोकेम ने दिया होगा, इसका निर्णय वाद में किया जाना है। गल्फ पेट्रोकेम द्वारा दिए गए निर्देशों को गैपाजामा के काल्पनिक महाराजा द्वारा दिए गए निर्देशों के बराबर मानना शायद निरर्थक है।

51. वादपत्र की कंडिका 10 से 12 में किए गए प्रकथनों को ध्यानाकृष्ट करने और "बेहतर है कि बहुत अधिक न कहा जाए" टिप्पणी करने के बाद यह समझना कठिन है कि खंडपीठ अपीलकर्ता पर 1,50,000/- रुपये का खर्च कैसे अधिरोपित कर सकती थी, जिसने गल्फ पेट्रोकेम को पक्षकार के रूप में जोड़ने के लिए कोई औपचारिक आवेदन तक नहीं किया था।

52. हमारी दृष्टि में, खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में भूल की है कि गल्फ पेट्रोकेम नावधिकरण वाद के लिए न तो एक आवश्यक और न ही एक उचित पक्षकार था। गल्फ पेट्रोकेम एक उचित पक्षकार था, जिसकी उपस्थिति, जैसा कि ऊपर प्रेक्षित किया गया है, वाद में विवाद्यक के प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक थी।

53. इन अपीलों में अंतर्वलित विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या उसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) के एक पक्षकार को जोड़ने के आदेश से उसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील होती है, एक नावधिकरण वाद में जो नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 द्वारा शासित है, जिसे इसमें इसके पश्चात "नावधिकरण अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है।

54. यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा पारित, पक्षकार को जोड़ने के लिए एक नावधिकरण वाद में एक आदेश, वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग को अपील योग्य है, तो जो प्रश्न अनुगामी होगा वह यह है, क्या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (खंडपीठ) को अपील को अनुज्ञात करना चाहिए था और वाद में प्रतिवादी के रूप में गल्फ पेट्रोलियम एफ.जेड.सी. को जोड़ने वाले वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) के आदेश को अपास्त करना चाहिए था?

55. नावधिकरण अधिनियम के सुसंगत उपबंध, जो उपर्युक्त वाद को शासित करते हैं, निम्नानुसार हैं:

*"**3. नावधिकरण अधिकारिता** — (1) धारा 4 और 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन सभी समुद्री दावों के संबंध में अधिकारिता संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित होगी और इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उनकी संबंधित अधिकारिता के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड तक और उसे सम्मिलित करते हुए जल क्षेत्र पर प्रयोक्तव्य होगी:*

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 2 में परिभाषित सीमा तक कर सकती है।

4. समुद्री दावा।- *(1) उच्च न्यायालय किसी भी पोत के विरुद्ध, निम्नलिखित में से किसी से उत्पन्न होने वाले समुद्री दावे पर किसी भी प्रश्न की सुनवाई करने और उसका निर्धारण करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है—*

****

(जी) किसी पोत पर माल या यात्रियों के वहन से संबंधित करार, चाहे वह चार्टर पार्टी में अंतर्विष्ट हो या अन्यथा;

5. पोत की सर्वबंधी गिरफ्तारी।- (*1) उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे पोत की गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है जो किसी समुद्री दावे के विरुद्ध प्रतिभूति प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उसकी अधिकारिता के भीतर है, जो एक नावधिकरण कार्यवाही का विषय है, जहाँ न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—*

(ए) वह व्यक्ति जो उस समय पोत का स्वामी था जब समुद्री दावा उत्पन्न हुआ था, दावे के लिए दायी है और गिरफ्तारी के समय पोत का स्वामी है; या

(बी) वह समय जब समुद्री दावा उत्पन्न हुआ था, पोत का डीमाइज चार्टरर दावे के लिए दायी है और गिरफ्तारी के समय पोत का डीमाइज चार्टरर या स्वामी है; या

****

(2) उच्च न्यायालय धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस पोत के बदले में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन समुद्री दावा किया गया है, समुद्री दावे के विरुद्ध प्रतिभूति प्रदान करने के प्रयोजन के लिए किसी अन्य पोत की गिरफ्तारी का भी आदेश दे सकता है:

परंतु यह कि धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अधीन समुद्री दावे के संबंध में इस उप-धारा के अधीन कोई पोत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

__6. व्यक्तिबंधी नावधिकरण अधिकारिता।-__ धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डब्ल्यू) में निर्दिष्ट किसी भी समुद्री दावे के संबंध में व्यक्तिबंधी कार्यवाही द्वारा नावधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है।

xxxxx

__12. सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना।-__ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों में वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के साथ असंगत या उनके प्रतिकूल नहीं हैं।

xxxxx

__14. अपील।-__ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश से उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक अपील होगी।"

56. ऊपर निर्दिष्ट नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 को दृष्टिगत रखते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जिन्हें इसमें इसके पश्चात सि.प्र.सं. के रूप में संदर्भित किया गया है, नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों में लागू होंगे, जहाँ तक वे नावधिकरण अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के साथ असंगत या उनके प्रतिकूल नहीं हैं।

57. सि.प्र.सं. के आदेश 1 नियम 10 (2) में प्रावधान है:

__"न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा।—__ न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, चाहे किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, यह

आदेश दे सकेगा कि किसी ऐसे पक्षकार का नाम, जो चाहे वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर जोड़ा गया है, काट दिया जाए और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे चाहे वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था, या जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति वाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों पर प्रभावी रूप से और पूर्ण रूप से न्यायनिर्णयन करने और उन्हें तय करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।"

58. आदेश 1 नियम 10 (2) और नावधिकरण अधिनियम के किसी भी उपबंध के बीच कोई असंगति न होने के कारण, सि.प्र.सं. का आदेश 1 नियम 10 (2) नावधिकरण अधिनियम द्वारा शासित वादों और/या कार्यवाहियों पर लागू होगा। आदेश 1 नियम 10 (2) न्यायालय को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, स्वतः ही, चाहे उसके समक्ष कोई आवेदन हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को पक्षकार के रूप में जोड़ने में समर्थ बनाता है, यदि न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है, ताकि न्यायालय को वाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों पर प्रभावी रूप से और पूर्ण रूप से न्यायनिर्णयन करने और उन्हें तय करने में समर्थ बनाया जा सके। आदेश 1 नियम 10 (2) के उद्देश्यों में से एक कार्यवाहियों की बहुलता से बचना है।

59. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, इसकी उद्देशिका के अनुसार, विनिर्दिष्ट मान के वाणिज्यिक विवादों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के न्यायनिर्णयन के लिए, वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों के गठन के लिए और उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है।

60. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(सी) में 'वाणिज्यिक विवाद' को नावधिकरण और समुद्री विधियों से संबंधित विषयों को सम्मिलित करने के लिए परिभाषित

किया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धाराएं 7, 13, 14, 16 और 21, जो इस अपील में अंतर्वलित विषयों के लिए सुसंगत हैं, नीचे दी गई हैं:

*"**7. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता।—***

मामूली आरम्भिक दीवानी अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय में संस्थित एक विनिर्दिष्ट मान के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी वाद और आवेदन उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुने और निपटाए जाएँगे:

परंतु यह कि वाणिज्यिक विवादों से संबंधित वे सभी वाद और आवेदन, जो किसी अधिनियम द्वारा जिला न्यायालय से अवर न्यायालय में न होने वाले न्यायालय में स्थित होने के लिए अनुबद्ध हैं, और उच्च न्यायालय के आरम्भिक पक्ष पर संस्थित या लंबित हैं, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुने और निपटाए जाएँगे:

परंतु यह और कि डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 22 की उप-धारा (4) या पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 104 के आधार पर उच्च न्यायालय को स्थानांतरित सभी वाद और आवेदन उन सभी क्षेत्रों में उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुने और निपटाए जाएँगे जिन पर उच्च न्यायालय मामूली आरम्भिक दीवानी अधिकारिता का प्रयोग करता है।

13. वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों की डिक्रियों से अपीलें।—

[20] [(1) जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति निर्णय या आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है।

(1-ए) आरम्भिक दीवानी अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश के स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति निर्णय या आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग को अपील कर सकता है:

परंतु यह कि ऐसी अपील वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित उन आदेशों से होगी जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XLIII और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित हैं।]

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के अतिरिक्त वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री से कोई अपील नहीं होगी।

14. अपीलों का शीघ्र निपटारा।—वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अपने समक्ष संस्थित अपीलों को ऐसी अपील संस्थित किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेंगे।

XXXXX

16. वाणिज्यिक विवादों को लागू होने में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संशोधन।— (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, किसी विनिर्दिष्ट मान के वाणिज्यिक विवाद के

संबंध में किसी वाद को लागू होने में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित रहेंगे।

(2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय विनिर्दिष्ट मान के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में वाद के विचारण में इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों का पालन करेंगे।

(3) जहाँ अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के किसी नियम का कोई उपबंध या राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) का कोई संशोधन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के साथ संघर्ष में है, वहाँ इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध अभिभावी होंगे।

***21. अधिनियम का अभिभावी प्रभाव होना।**— इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम के अतिरिक्त तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।"*

61. जैसा कि ऊपर प्रेक्षित किया गया है, नावधिकरण अधिनियम की धारा 12, उच्च न्यायालय में सभी नावधिकरण कार्यवाहियों पर सि.प्र.सं. के उपबंधों को लागू करती है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 यह सुस्पष्ट करती है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा संशोधित सि.प्र.सं. के उपबंध, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा शासित वाणिज्यिक विवादों से संबंधित वादों पर लागू होते हैं।

62. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के पास किसी नावधिकरण वाद में, स्वयं से, कोई आवेदन किए बिना, किसी पक्षकार को जोड़ने की शक्ति है, यदि उसकी यह राय है कि न्यायालय के समक्ष उस पक्षकार की उपस्थिति वाद

में अंतर्वलित सभी प्रश्नों को प्रभावी ढंग से और पूर्ण रूप से न्यायनिर्णीत करने और निपटाने के लिए आवश्यक हो सकती है। प्रश्न यह है कि क्या नावधिकरण वाद में किसी पक्षकार को जोड़ने वाला वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का कोई आदेश, नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के अधीन अपील योग्य है।

63. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1-ए) का दूसरा परंतु उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग से उसके वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में होने वाली अंतः-न्यायालय अपीलों को केवल वाणिज्यिक प्रभाग के उन आदेशों तक सीमित करता है, जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित हैं।

64. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, सि.प्र.सं. के आदेश 43 नियम 1 को संशोधित नहीं करता है जो उपबंधित करता है:

*"**1. आदेशों से अपीलें।—धारा 104** के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित आदेशों से अपील होगी, अर्थात्:—*

(ए) वादपत्र को उचित न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए वापस करने वाला आदेश VII के नियम 10 के अधीन एक आदेश, सिवाय वहां जहां आदेश VII के नियम 10-ए में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया है;

*(बी) ****

(सी) (अपील योग्य मामले में) वाद के खारिज होने को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश IX के नियम 9 के अधीन एक आदेश;

(डी) (अपील योग्य मामले में) एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश IX के नियम 13 के अधीन एक आदेश;

(ई) ***

(एफ) आदेश XI के नियम 21 के अधीन एक आदेश;

(जी) ***

(एच) * * *

(आई) किसी दस्तावेज या पृष्ठांकन के प्रारूप पर आक्षेप के संबंध में आदेश XXI के नियम 34 के अधीन एक आदेश;

(जे) किसी विक्रय को अपास्त करने या अपास्त करने से इंकार करने वाला आदेश XXI के नियम 72 या नियम 92 के अधीन एक आदेश;

(जेए) आदेश XXI के नियम 106 के उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन को नामंजूर करने वाला एक आदेश, बशर्ते कि मूल आवेदन पर आदेश, अर्थात् उस आदेश के नियम 105 के उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, अपील योग्य हो;

(के) वाद के उपशमन या खारिज होने को अपास्त करने से इंकार करने वाला आदेश XXII के नियम 9 के अधीन एक आदेश;

(एल) इजाजत देने या इजाजत देने से इंकार करने वाला आदेश XXII के नियम 10 के अधीन एक आदेश;

(एम) ***

(एन) (अपील योग्य मामले में) वाद के खारिज होने को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश XXV के नियम 2 के अधीन एक आदेश;

(एनए) अकिंचन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने की अनुमति हेतु आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश XXXIII के नियम 5 या नियम 7 के अधीन एक आदेश;

*(ओ) ****

(पी) आदेश XXXV के नियम 3, नियम 4 या नियम 6 के अधीन अन्तराभिवाची-वाद में आदेश;

(क्यू) आदेश XXXVIII के नियम 2, नियम 3 या नियम 6 के अधीन एक आदेश;

(आर) आदेश XXXIX के नियम 1, नियम 2, [नियम 2-ए], नियम 4 या नियम 10 के अधीन एक आदेश;

(एस) आदेश XL के नियम 1 या नियम 4 के अधीन एक आदेश;

(टी) अपील को पुनर्गृहीत करने के लिए आदेश XLI के नियम 19 के अधीन या अपील की पुनः सुनवाई करने के लिए आदेश XLI के नियम 21 के अधीन इनकार का एक आदेश;

(यू) किसी मामले को प्रतिप्रेषित करने वाला आदेश XLI के नियम 23 [या नियम 23-ए] के अधीन एक आदेश, जहाँ अपीलीय न्यायालय की डिक्री से अपील होगी;

(वी) [* *]*

(डब्ल्यू) समीक्षा के आवेदन को मंजूर करने वाला आदेश XLVII के नियम 4 के अधीन एक आदेश।"

65. धारा 13 का उप-धारा (2) एक अभिभावी खंड के साथ प्रारंभ होता है जो उक्त धारा को उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट सहित अन्य सभी विधियों पर अभिभावी प्रभाव प्रदान करता है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 का उप-धारा (2) कहता है

कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के अतिरिक्त वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश से कोई अपील नहीं होगी।

66. दूसरी ओर, नावधिकरण अधिनियम की धारा 14, जो एक अभिभावी खंड के साथ यह कहते हुए प्रारंभ होती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी, नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय की एकल पीठ के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश से उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील होगी।

67. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 और नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 दोनों में अभिभावी खंड अंतर्विष्ट हैं जो धाराओं को अभिभावी प्रभाव प्रदान करते हैं। जबकि नावधिकरण अधिनियम की धारा 14, जो जैसा कि प्रेक्षित किया गया है एक अभिभावी खंड के साथ प्रारंभ होती है, यह उपबंधित करती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश से उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील होगी, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (2) कहती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के अतिरिक्त वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री से कोई अपील नहीं होगी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, परंतु वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अधीन अपील को ऐसे आदेशों तक सीमित करता है जो सि.प्र.सं. के आदेश 43 में विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित हैं।

68. "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" शब्दों वाला एक खंड साधारणतः किसी धारा के प्रारंभ में इस दृष्टि से जोड़ा जाता है कि किसी अन्य विधि के साथ संघर्ष की स्थिति में धारा के अधिनियमित भाग को अभिभावी प्रभाव दिया जा सके। सामान्यतः, जब दो या अधिक संविधियों में ऐसे वैधानिक उपबंध अंतर्विष्ट

होते हैं जो "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" खंड के साथ प्रारंभ होते हैं और उन संविधियों में परस्पर विरोधी उपबंध होते हैं, तो एक प्रश्न जो उत्पन्न हो सकता है वह यह है कि कौन सी संविधि प्रभावी होगी। एक सामान्य नियम के रूप में, विशेष संविधियां, सामान्य संविधियों पर प्रभावी होती हैं। यदि दोनों संविधियां सामान्य संविधियां हैं या समान अथवा सदृश अभिभावी खंडों वाली विशेष संविधियां हैं, तो बाद वाली संविधि प्रभावी होगी।

69. यह नियम कि बाद वाली संविधि में अंतर्विष्ट अभिभावी खंड, पूर्ववर्ती संविधि के अभिभावी खंड पर प्रभावी होता है, कोई आत्यंतिक नियम नहीं है। कौन सा उपबंध प्रभावी होगा, यह प्रश्न अनिवार्य रूप से अधिनियमन के उद्देश्य पर और विशेष रूप से, उस अधिनियमन या उसके किसी विशिष्ट उपबंध को अभिभावी प्रभाव देने के उद्देश्य पर निर्भर करेगा।

70. जब एक ही क्षेत्र में कार्यरत दो या अधिक अधिनियमों में एक अभिभावी खंड अंतर्विष्ट होता है, जो यह बताता है कि उसके उपबंध किसी अन्य विधि में उसके असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, तो संघर्ष का समाधान उन अधिनियमों के अंतर्निहित उद्देश्य और नीति पर विचार करने पर किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले वरीय अधिवक्ता, श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि धारा 14, नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एक अंतरिम आदेश से अपील का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ वस्तु-लक्ष्यी कार्यवाही के संबंध में एक अंतरिम आदेश है। एक बार जब पोत का स्वामी उपस्थित हो जाता है और अधिकारिता के प्रति समर्पण कर देता है और पोत को छोड़ने के लिए प्रतिभूति प्रदान कर देता है, तो नावधिकरण कार्यवाही किसी भी अन्य वाद की तरह व्यक्ति-लक्ष्यी कार्यवाही के रूप में विचारण के लिए आगे बढ़ती है। इस

विचार को ***एम.वी. एलिजाबेथ बनाम हरवान इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्रा. लि.***[2] में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन मिलता है।

71. वाणिज्यिक न्यायालय विधेयक, 2015 के उद्देश्यों और कारणों का कथन इंगित करता है कि वाणिज्यिक न्यायालय विधेयक "(ए) उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान का उपबंध करने के प्रस्ताव" का अनुसरण करता है, जिसमें "जटिल तथ्य और विधि के प्रश्न अंतर्वलित हैं"। कथन यह उल्लेख करता है कि "वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र समाधान, स्वतंत्र और उत्तरदायी भारतीय विधिक प्रणाली के बारे में निवेश जगत में एक सकारात्मक छवि निर्मित करेगा"। कथन कहता है कि "प्रस्तावित विधेयक आर्थिक विकास को गति देगा, भारतीय न्याय वितरण प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार करेगा, और राष्ट्र की विधिक संस्कृति में निवेश जगत के विश्वास को बढ़ाएगा"।

72. नावधिकरण (अधिकारिता और सामुद्रिक दावों का निपटारा) विधेयक, 2016 के उद्देश्यों और कारणों का कथन कहता है कि यह विधेयक "सामुद्रिक क्षेत्र के आधुनिक रुझानों के अनुरूप और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ एकरूपता में, न्यायालयों की नावधिकरण अधिकारिता के दीवानी मामलों, सामुद्रिक दावों पर नावधिकरण कार्यवाहियों, पोतों की गिरफ्तारी और संबंधित मुद्दों पर मौजूदा ब्रिटिश काल की विधियों को समेकित करता है।" नावधिकरण विधेयक "चिन्हित सामुद्रिक दावों के अधिनिर्णयन और सामुद्रिक दावों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, कतिपय परिस्थितियों में पोतों की गिरफ्तारी का उपबंध करता है।" विधेयक "सामुद्रिक धारणाधिकार पर परस्पर प्राथमिकता का उपबंध" भी करता है। उद्देश्यों और कारणों का कथन पुनरावृत्ति करता है कि उन पहलुओं के संबंध में सि.प्र.सं. लागू होगी जिनके बारे में विधेयक में उपबंध निर्धारित नहीं किए गए हैं। विधेयक "व्यक्ति-लक्ष्यी नावधिकरण अधिकारिता और सामुद्रिक दावों की प्राथमिकता के क्रम" से भी संबंधित है।

---

2 1993 सप्लीमेंट (2) एस.सी.सी. 433

73. नावधिकरण और सामुद्रिक विधि से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न होने वाला विवाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(सी)(iii) में यथा परिभाषित एक वाणिज्यिक विवाद है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13, जो अपीलों के दायरे को सीमित करती है, की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा ***कांडला कॉर्पोरेशन बनाम ओ.सी.आई. कॉर्प.***[3] में इस अर्थ में की गई है कि वे आदेश जो सि.प्र.सं. के आदेश XLIII के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित नहीं हैं, वे अपील योग्य नहीं होंगे।

74. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

"14. परंतु आगे यह बताता है कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा पारित ऐसे आदेशों से अपील होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLIII, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित हैं। यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि वे आदेश जो सि.प्र.सं. के आदेश XLIII के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित नहीं हैं, वे, इसलिए, अपील योग्य नहीं होंगे, और केवल वे अपीलें जिनका उल्लेख मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में किया गया है, वे अपीलें हैं जो किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में की जा सकती हैं।"

75. श्री विश्वनाथन ने निवेदन किया कि, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के दायरे पर विचार करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. 48/2018 जारी की है, जो वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के संबंध में एक व्यवहार टिप्पणी है। अधिसूचना यह उल्लेख करती है कि "यदि वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक प्रभाग का निर्णय एक 'आदेश' है, तो यह ऐसा आदेश होना चाहिए जिसे सि.प्र.सं. के आदेश XLIII के अधीन एक अपील योग्य आदेश के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित किया गया हो [2016 के अधिनियम 4 की धारा 13 का परंतु]।

---

3 (2018) 14 एस.सी.सी. 715

उपरोक्त के अतिरिक्त, भले ही उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के अधीन या किसी विधि के अधीन कोई अपील प्रावधान हो, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी [2016 के अधिनियम 4 की धारा 13(2)]"। प्रसंगवश, यह अधिसूचना सामग्री समय पर, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, हम में से एक (इन्दिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति) द्वारा जारी की गई थी।

76. श्री विश्वनाथन द्वारा भरोसा दिए गए ***मैजिक फ्रेम्स बनाम रेडिएंस मीडिया प्रा. लि.***[4] में, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी 'मैजिक फ्रेम्स' द्वारा वादी 'रेडिएंस मीडिया' द्वारा दायर वाणिज्यिक वाद को खारिज करने की मांग करने वाले संक्षिप्त निर्णय के लिए दायर आवेदन को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध धारा 13(1ए) के अधीन मूल पक्षीय अपील पोषणीय नहीं थी। निर्णय की सुसंगत कंडिकाएँ नीचे पुनरुत्पादित की गई हैं:-

> *"24. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय की 2018 की अधिसूचना सं. 48 के अनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम 4) की धारा 18 के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उसमें व्यवहार टिप्पणी जारी करने के लिए प्रसन्न हैं और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के संबंध में, इसमें निम्नलिखित रूप में कहा गया है:*
>
> *II. वाणिज्यिक अपीलीय खण्डपीठ :*
>
> *वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग की अधिकारिता:*
>
> *1) वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग की अधिकारिता 2016 के अधिनियम 4 के तीन उपबंधों, अर्थात् धारा 9(2), धारा 13 और धारा 15(5) में निर्धारित की गई है।*

---

4 2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन मद्रास 38929

2) वाणिज्यिक विवाद से संबंधित वादों में (जहाँ वाद दायर किए जाते समय उसका मूल्य 'विनिर्दिष्ट मूल्य' का नहीं है) प्रतिवादी/प्रतिवादियों द्वारा 'विनिर्दिष्ट मूल्य' के प्रति-दावे की स्थिति में, ऐसा वाद, यथास्थिति, वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग को अंतरित कर दिया जाएगा (2016 के अधिनियम 4 की धारा 9(1))। यदि ऐसा वाद अंतरित नहीं किया जाता है, तो वाद के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग नियमित न्यायालयों से ऐसे वादों को वापस ले सकता है।

25. अतः, उपर्युक्त अधिसूचना से, यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13(1) में संशोधन का अपील के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे व्यवहार निर्देशों में स्पष्ट किया गया था कि यह सि.प्र.सं. के आदेश 43, और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अधीन सीमित है; यदि इसका कोई प्रभाव होता, तो व्यवहार निर्देशों में भी संशोधन किया गया होता जिसे न्यायालय ने आज तक नहीं किया है।

77. ***मैजिक फ्रेम्स*** (उपर्युक्त) का निर्णय, संक्षिप्त निर्णय हेतु आवेदन की बर्खास्तगी के संदर्भ में, इस मामले में आकर्षित नहीं होता है, भले ही यह निष्कर्ष कि संक्षिप्त निर्णय के आवेदन को खारिज करने वाला आदेश अपील योग्य नहीं है, सही है। हालांकि, व्यवहार निर्देश देने वाली कोई अधिसूचना न तो किसी वैधानिक अधिनियमन के दायरे को सीमित कर सकती है और न ही उसे विस्तारित कर सकती है।

78. नावधिकरण अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के पठन से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा वस्तु-लक्ष्यी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित नावधिकरण अधिनियम के अधीन पारित आदेश ही केवल वे आदेश हैं जो नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील योग्य हैं। जबकि वाद के विचारण में और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अधीन किए गए आवेदनों पर पारित आदेश, नावधिकरण

अधिनियम के अधीन आदेश नहीं हैं, बल्कि सि.प्र.सं. के अधीन आदेश हैं जो केवल तभी अपील योग्य होंगे यदि वे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में यथा उपबंधित सि.प्र.सं. के आदेश 43 के अंतर्गत आते हैं।

79. नावधिकरण अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, दोनों ही विशेष अधिनियम हैं। ***अशोका मार्केटिंग लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक***[5] में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने, परस्पर विरोधी अभिभावी खंडों के विषय पर विधि और दो संविधियों के उपबंधों के बीच असंगति पर विचार करने के पश्चात्, कंडिका 61 में यह संप्रेक्षित किया कि "इन विनिश्चयों से जो सिद्धांत उभर कर आता है वह यह है कि दो अधिनियमनों के उपबंधों के बीच असंगति के मामले में, जिन्हें दोनों ही प्रकृति में विशेष माना जा सकता है, विवाद का समाधान दो अधिनियमनों के अंतर्निहित उद्देश्य और नीति तथा उनमें संबंधित उपबंधों की भाषा द्वारा व्यक्त स्पष्ट आशय के संदर्भ में किया जाना है।..."

80. यदि यह मान भी लिया जाए कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के उपबंध अपीलों से संबंधित सामान्य उपबंध माने जाते हैं, जबकि नावधिकरण अधिनियम के उपबंधों को अपील के लिए विशेष उपबंध माना जाता है, तब भी साधारण कथन विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते का सूत्र, जो सामान्यतः वहां आकर्षित होता है जहां एक विशेष और एक सामान्य संविधि के बीच विवाद होता है, लागू नहीं होगा। "यदि स्वीकार्य परिस्थितियों के आलोक में, सामान्य अधिनियमन के विचार से यह प्रतीत होता है कि संसद का वास्तविक आशय उसके द्वारा सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम स्थापित करना था, तो विशेष उपबंध को सामान्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा"। ***वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बिनानी सीमेंट्स***[6] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

---

5 (1990) 4 एस.सी.सी. 406

6 2014 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 140

""34. यह सुस्थापित है कि जब एक सामान्य विधि और सामान्य विधि द्वारा निपटाए गए किसी पहलू से निपटने वाली एक विशेष विधि प्रश्नगत होती है, तो अपनाया और लागू किया गया नियम सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का होता है जिसके द्वारा सामान्य विधि, उस सीमा तक जहाँ तक विशेष विधि द्वारा निपटाया गया है, विवक्षित रूप से निरसित हो जाती है। यह सिद्धांत साधारण कथन विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते के लैटिन सूत्र से अपनी उत्पत्ति पाता है, अर्थात्, यदि सामान्य विधि और विशेष विधि एक ही विषय पर एक ही क्षेत्र में संचालित होती हैं, तो सामान्य विधि विशेष विधि के समक्ष झुक जाती है। (वेपा पी. सारथी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, 5 वां संस्करण, ईस्टर्न बुक कंपनी; एन. एस. बिंद्रा का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, 8 वां संस्करण, द लॉ बुक कंपनी; क्रेज़ ऑन स्टेट्यूट लॉ, एस.जी.जी. एडकर, 7 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल; जस्टिस जी.पी. सिंह, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, 13 वां संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस; क्रेज़ ऑन लेजिस्लेशन, डैनियल ग्रीनबर्ग, 9 वां संस्करण, थॉमसन स्वीट एंड मैक्सवेल, मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, 12 वां संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस)

35. सामान्यतः, इस सिद्धांत ने उन मामलों में व्यापक अनुप्रयोग पाया है जहाँ दो संविधियाँ होती हैं: सामान्य या विशिष्ट, जिसमें बाद वाली (विशिष्ट) पूर्ववर्ती (सामान्य) की तुलना में समान विषय-वस्तु को अधिक विशिष्टता या सूक्ष्मता से उपचारित करती है। कॉर्पस ज्यूरिस सेकन्डम, 82 सी.जे.एस. स्टेट्यूट्स § 482 यह बताता है कि जब एक ही विषय से संबंधित सामान्य और विशिष्ट संविधि का अर्थान्वयन किया जाता है, तो संविधियों को एक-दूसरे के अनुरूप मानना आवश्यक है और इसलिए ऐसी संविधियों को, यदि संभव हो तो, एक सुसंगत विधायी नीति को प्रभावी करने के उद्देश्य से सामंजस्यपूर्ण बनाया

जाना चाहिए। दूसरी ओर, जहाँ एक ही विषय-वस्तु से संबंधित सामान्य संविधि और विशिष्ट संविधि के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है, वहाँ सामान्यतः विशेष या विशिष्ट संविधि अभिभावी होगी। विचाराधीन मामले पर अधिक विशिष्ट रूप से निर्देशित उपबंध, उस उपबंध पर जो प्रकृति में अधिक सामान्य है, एक अपवाद या अर्हता के रूप में प्रबल होता है, बशर्ते कि विशिष्ट या विशेष संविधि में विवादित मामला स्पष्ट रूप से सम्मिलित हो। (एडमंड बनाम यू.एस., 520 यू.एस. 651, वार्डन बनाम मैरेरो, 417 यू.एस. 653)

36. साधारण कथन विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते के सूत्र को 'हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड' के चौथे संस्करण के खंड 44 (1) की कंडिका 1300 में निम्नलिखित रूप में निपटाया गया है:

"यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 'सीवार्ड बनाम ओनर ऑफ "द वेरा क्रूज़" (1884) 10 एप गैस 59' और प्रिवी काउंसिल के 'बार्कर बनाम एडगर (1898) एसी 748' के विनिश्चयों से निकला है और इसे कई अवसरों पर अभिपुष्ट और प्रभावी किया गया है .... यदि संसद ने किसी विशिष्ट मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार किया है और उसके लिए विशेष उपबंध किया है, तो उपधारणा यह है कि विशुद्ध रूप से सामान्य प्रकृति के उत्तरवर्ती अधिनियमन का आशय उस उपबंध में हस्तक्षेप करना नहीं रहा होगा; और इसलिए, यदि ऐसा अधिनियमन, यद्यपि सार में असंगत है, प्रश्नगत मामले तक विस्तारित हुए बिना उचित और समझदारी पूर्ण अनुप्रयोग के योग्य है, तो यह प्रथम दृष्टया इस रूप में अर्थान्वित किया जाना है कि वह इस प्रकार विस्तारित नहीं होता है। विशेष उपबंध सामान्य पर एक अपवादात्मक शर्त के रूप में बना रहता है। यदि, हालांकि, स्वीकार्य परिस्थितियों के आलोक में

सामान्य अधिनियमन के विचार से यह प्रतीत होता है कि संसद का वास्तविक आशय उसके द्वारा सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम स्थापित करना था, तो विशेष उपबंध को सामान्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा।"

81. यदि सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन ऐसे आदेश को, जो सि.प्र.सं. के आदेश 43 के अंतर्गत नहीं आता है, अपील योग्य मान लिया जाता है, तो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का संपूर्ण उद्देश्य विफल हो जाएगा, और नावधिकरण वाद के विचारण के दौरान पारित प्रत्येक आदेश अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील योग्य हो जाएगा। ऐसे आदेशों की संख्या बहुत अधिक होगी जिनमें प्रकटीकरण, निरीक्षण, वाद प्रबंधन सुनवाई, साक्ष्य की ग्राह्यता, विवाद्यकों की विरचना, परिप्रश्न आदि से संबंधित आदेश सम्मिलित हैं। यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को अधिनियमित करने में संसद के इच्छित उद्देश्य का उपहास होगा, जो कि एक विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक वादों में विचारण में तेजी लाना और अंतर्वर्ती अपीलों की संख्या को सीमित करना है।

82. इस न्यायालय का यह विचार है कि सि.प्र.सं. के आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन पक्षकार को जोड़ने का कोई आदेश नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील योग्य नहीं है। गल्फ पेट्रोकेम विवाद और वाद संव्यवहार तथा वहन संविदा (वहन पत्र) का एक पक्षकार है और इसलिए एक आवश्यक पक्षकार है। गल्फ पेट्रोकेम एक उचित पक्षकार भी है जिसकी उपस्थिति वाद में प्रश्नों पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक है। ***अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा***[7] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"10. किसी व्यक्ति को वाद में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में जोड़ा जा सकता है, भले ही उसके विरुद्ध किसी अनुतोष का दावा न किया गया हो, बशर्ते कि उसकी उपस्थिति वाद में अंतर्वलित प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए

---

7 (1995) 3 एस.सी.सी. 147

आवश्यक हो। ऐसा व्यक्ति केवल एक उचित पक्षकार है जो एक आवश्यक पक्षकार से भिन्न होता है .... "

83. वादपत्र के कंडिका 10 से 12 [पृष्ठ 264] के अभिवचन, जो आक्षेपित निर्णय के पृष्ठ 11-13 पर उद्धृत हैं, यह प्रदर्शित करते हैं कि गल्फ पेट्रोकेम एक उचित और आवश्यक पक्षकार है, भले ही उत्तरदाता वर्तमान वाद में उनके विरुद्ध किसी भी अनुतोष का दावा न करने का विकल्प चुन सकता है।

84. नावधिकरण अधिनियम की धारा 14, जैसा कि श्री विश्वनाथन द्वारा तर्क दिया गया है, नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या अंतर्वर्ती आदेश से उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील के लिए मंच प्रदान करती है। अभिव्यक्ति "कोई अंतर्वर्ती आदेश" को उपर्युक्त नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के आलोक में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43, नियम 1 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना है।

85. नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 को शून्य करना धारा 14 के अभिभावी उपबंध का आशय नहीं है। नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है चाहे वे मूल कार्यवाहियां हों या अपीलीय कार्यवाहियां।

86. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के साथ नावधिकरण अधिनियम की धारा 12 और 14 के सामंजस्यपूर्ण पठन पर, नावधिकरण अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग में एक अंतः-न्यायालय अपील, नावधिकरण अधिनियम के अधीन किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से अथवा नावधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसे अंतर्वर्ती आदेश से होगी जो आदेश 43, नियम 1 में विनिर्दिष्ट आदेशों से संबंधित हो।

87. हम श्री भरूचा के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि नावधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 12 के साथ पठित धारा 14, बिना किसी निर्बंधन या सीमा के,

नावधिकरण अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश से उस उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की अनुमति देने के विधायी आशय को प्रदर्शित करती है. श्री भरूचा द्वारा संदर्भित उच्च न्यायालयों के निर्णय, जो उन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में दिए गए थे, नावधिकरण अधिनियम के अधीन आदेशों के संबंध में विशेष रूप से नावधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील योग्य बनाए गए हैं. विशेष अनुमति याचिका का मात्र खारिज होना उच्चतम न्यायालय के पूर्व-निर्णय के रूप में कार्य नहीं करता है।

88. यह संभवतः नावधिकरण अधिनियम का विधायी आशय नहीं हो सकता था कि सभी अंतर्वर्ती आदेशों को अपील योग्य बनाया जाए। अभिव्यक्ति "अंतर्वर्ती आदेश" के इतने व्यापक अर्थान्वयन का अर्थ यह होगा कि कोई भी पक्षकार शपथपत्रों की मांग करने वाले और इसी तरह के महत्वहीन आदेशों से भी अपील दायर करके विचारण और अंतिम निस्तारण में विलंब करने में सक्षम होगा। हम, इसलिए, यह अभिनिर्धारित करते हैं कि नावधिकरण अधिनियम द्वारा शासित नावधिकरण वाद में पक्षकार को जोड़ने के लिए उसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल न्यायपीठ) के आदेश से उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील नहीं होगी।

89. इसके अतिरिक्त, हमारा यह विचार है कि खंडपीठ ने वाद में गल्फ पेट्रोलियम को प्रतिवादी पक्षकार के रूप में जोड़ने वाले वाणिज्यिक प्रभाग (एकल न्यायाधीश) के आदेश से अपील की अनुमति देकर विधि की त्रुटि की है।

90. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं। खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है।

दिव्या पांडे अपील अनुज्ञात।

(सहायता प्राप्त : रूपांशी विरांग, एल.सी.आर.ए.)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।